राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(24)नविवि/3/2003 जयपुर, दिनांक : 19.02.2013

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :– पश्चातवर्ती क्रेता को हस्तान्तरण पर अंतिम क्रेता के नाम सीधे ही पंजीयन कराने की सुविधा के संबंध में।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगरपरिषद अथवा नगर पालिका मण्डल द्वारा विक्रित/आवंटित अचल सम्पत्तियों को अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर किये गये हस्तान्तरणों पर मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान करने व अंतिम क्रेता के नाम लीज डीड जारी करने के संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 2(19) वित्त/कर/2007–96 दिनांक 31.12.2012 जारी की गयी थी। उक्त अधिसूचना आपको इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.01.2013 के द्वारा भी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी थी।

दिनांक 12.02.2013 की मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में यह अवगत कराया गया है कि उक्त अधिसूचना पर आप द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। समिति ने निर्देश दिये है कि ऐसे प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ कर आमजन को राहत प्रदान की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार पालनार्थ प्रेषित है :–

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय